सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

प्रेषकः– त्रिपुरारी मिश्रा

अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट

रायबरेली।

द्वारा– श्रीमान जनपद न्यायाधीश

रायबरेली।

विषयः– दान प्राप्त करने की अनुमति/सूचना के संबंध में।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी श्री विनय कुमार मिश्रा अपर जिला जज के पद से 30 अप्रैल 2017 को जनपद फतेहपुर से सेवानिवृत हुए है। उन्होंने अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने और मेरी माता जी श्रीमती विद्यावती मिश्रा के संयुक्त नाम से एक प्लाट 200 वर्गमीटर लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ में आवंटन हेतु आवेदन किया था, जिसके फलस्वरुप उन्हे प्लाट संख्या सी–4/1171 का आवंटन दिनांक 24.06.2005 को हुआ था। जिसकी रजिस्ट्री मेरे पिताजी व माता जी के संयुक्त नाम से दिनांक 26.03.2010 को लखनऊ विकास प्रधिकरण द्वारा की गयी। उक्त आवंटन एवं प्लाट की रजिस्ट्री मेरे पिताजी व माताजी के पक्ष में किये जाने की सूचना माननीय उच्च न्यायालय को मेरे पिताजी द्वारा दिनांक 03.09.2010 को प्रेषित की गयी। सुलभ संदर्भ हेतु माननीय उच्च न्यायालय को सूचना भेजने के पत्र की प्रतिलिपि व रजिस्ट्री की प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है।

उक्त भूखण्ड पर मकान बनाकर मेरे पिताजी निवास कर रहे है और नगर निगम के अभिलेखों में भी उक्त मकान सी–4/1171 के रुप में दर्ज है।

उक्त मकान में मेरे पिताजी और माताजी का संयुक्त स्वामित्व था। दिनांक 20.12.2018 को मेरी माताजी श्रीमती विद्यावती मिश्रा का स्वर्गवास हो गया। उसके उपरान्त मकान के मेरे माताजी के आधे अंश में मेरे पिताजी, मै स्वयं व मेरी बहने श्रीमती रागिनी मिश्रा व श्रीमती उपमा मिश्रा प्रत्येक को पूर्ण मकान का 1/8 अंश का स्वामित्व प्राप्त हुआ।

मेरे पिताजी 67 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति हैं और अपने जीवनकाल में ही प्राकृतिक प्रेम व स्नेह के कारण मकान में अपने 5/8 अंश को मुझे दानपत्र के माध्यम से उपहार में देना चाहते है।

इसी तरह मेरी बहने श्रीमती रागिनी मिश्रा एवं श्रीमती उपमा मिश्रा विवाहिता है एवं अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही हैं। मेरी बहने श्रीमती रागिनी मिश्रा व श्रीमती उपमा मिश्रा भी उक्त मकान मे अपने 1/8 अंश को प्राकृतिक प्रेम व स्नेह के कारण मुझे दानपत्र के माध्यम से उपहार में देना चाहती है। मेरे पिताजी व दोनो बहनों का सहमतिपत्र पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

उक्त भूखण्ड मेरे सेवा में आने से काफी पूर्व मेरे पिताजी व माताजी के नाम से वर्ष 2005 में आवंटित हुआ था जिसकी रजिस्ट्री कराने के उपरान्त मेरे पिताजी उसपर मकान बनाकर काफी लम्बें समय से निवास कर रहे है।

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 18/2022/955/34–SR-2-2023-700(29)/2021 लखनऊ दिनांकित 03.08.2023 के अनुसार निकट संबंधियों द्वारा दानपत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ऐसे मामलों में स्टाम्प शुल्क समाप्त करते हुए अधिकतम 5000 रु0 शुल्क की धनराशि निर्धारित की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों के आधार पर प्रार्थी सविनय अनुरोध करता है कि मेरे पिताजी एवं बहनों द्वारा दिये जाने वाले उपरोक्त दान प्राप्त करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत अनुरोध पत्र को माननीय न्यायालय के समक्ष रखने की कृपा कर प्रार्थी को अनुग्रहित करें।

प्रार्थी

त्रिपुरारी मिश्रा
अपर जिला जज
रायबरेली।
ID-UP1550

संलग्नक:–

1.विक्रय विलेख की फोटो प्रति।

2. माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित सूचनाओं की प्रति।

3. माताजी के मृत्यु प्रमाणपत्र की फोटो प्रति।

4. आश्रित प्रमाणपत्र की फोटो प्रति।

5. मेरे पिताजी एवं बहनों द्वारा दिये गये सहमतिपत्र की प्रति।

सहमतिपत्र

मै विनय कुमार मिश्र अवकाश प्राप्त अपर जिला जज ने लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्लाट आवंटन हेतु एक प्रार्थनापत्र दिया था। जिसके फलस्वरुप प्लाट संख्या सी–4/1171 का आवंटन दिनांक 24.06.2005 को हुआ, जिसकी रजिस्ट्री मेरे व मेरी पत्नी श्रीमती विद्यावती मिश्रा के नाम से दिनांक 26.03.2010 को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा की गयी। उक्त भूखण्ड पर मकान बनवाकर काफी समय पूर्व से मै निवास कर रहा हूँ।

मेरी पत्नी श्रीमती विद्यावती मिश्रा का दिनांक 20.12.2018 को स्वर्गवास हो गया है। उनके मृत्युपरान्त मकान के 5/8 भाग पर मेरा स्वामित्व है तथा शेष 3/8 भाग पर मेरे पुत्र त्रिपुरारी मिश्रा एवं मेरी पुत्रियॉ श्रीमती रागिनी मिश्रा एवं उपमा मिश्रा प्रत्येक का 1/8 अंश है।

मै 67 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति हूँ और प्राकृतिक प्रेम व स्नेह के कारण मकान में अपने 5/8 अंश अर्थात 125 वर्गमीटर को अपने पुत्र श्री त्रिपुरारी मिश्रा को दानपत्र के माध्यम से उपहार में देना चाहता हूँ एवं इस हेतु सहमत हूँ।

प्रार्थी

विनय कुमार मिश्रा

म0न0 4/1171 गोमतीनगर विस्तार

लखनऊ।

सहमतिपत्र

मेरे पिताजी श्री विनय कुमार मिश्र अपर जिला जज के पद से 30 अप्रैल 2017 को जनपद फतेहपुर से सेवानिवृत हुए है। उन्होने अपने और मेरी माताजी श्रीमती विद्यावती मिश्रा के संयुक्त नाम से एक प्लाट 200 वर्गमीटर लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ में आवंटित कराया था, जिसकी रजिस्ट्री मेरे पिताजी व माताजी के संयुक्त नाम से दिनांक 26.03.2010 को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा की गयी थी, जिसपर मकान बनवाकर मेरे पिताजी तभी से निवास कर रहे हैं।

उक्त मकान में मेरे पिताजी और माताजी का संयुक्त स्वामित्व था। दिनांक 20.12.2018 को मेरी माताजी श्रीमती विद्यावती मिश्रा का स्वर्गवास हो गया। उसके उपरान्त उक्त मकान मे मेरे माताजी के आधे भाग में मेरे पिताजी श्री विनय कुमार मिश्रा, मेरे भाई त्रिपुरारी मिश्रा, मेरी बहन श्रीमती उपमा मिश्रा और मुझे (रागिनी मिश्रा) प्रत्येक को उक्त मकान में 1/8 अंश का स्वामित्व प्राप्त हुआ।

मै रागिनी मिश्रा उक्त मकान में अपने 1/8 अंश को अपने भाई त्रिपुरारी मिश्रा को प्राकृतिक प्रेम व स्नेह के कारण दानपत्र के माध्यम से उपहार में देना चाहती हूॅ व इस हेतु सहमत हूॅ।

प्रार्थिनी

Ragini

रागिनी मिश्रा पुत्री श्री विनय कुमार मिश्रा

म0न0 2/51 विराजखण्ड

गोमती नगर, लखनऊ।

सहमतिपत्र

मेरे पिताजी श्री विनय कुमार मिश्र अपर जिला जज के पद से 30 अप्रैल 2017 को जनपद फतेहपुर से सेवानिवृत हुए है। उन्होने अपने और मेरी माताजी श्रीमती विद्यावती मिश्रा के संयुक्त नाम से एक प्लाट 200 वर्गमीटर लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ में आवंटित कराया था, जिसकी रजिस्ट्री मेरे पिताजी व माताजी के संयुक्त नाम से दिनांक 26.03.2010 को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा की गयी थी, जिसपर मकान बनवाकर मेरे पिताजी तभी से निवास कर रहे हैं।

उक्त मकान में मेरे पिताजी और माताजी का संयुक्त स्वामित्व था। दिनांक 20.12. 2018 को मेरी माताजी श्रीमती विद्यावती मिश्रा का स्वर्गवास हो गया। उसके उपरान्त उक्त मकान मे मेरे माताजी के आधे भाग में मेरे पिताजी श्री विनय कुमार मिश्रा, मेरे भाई त्रिपुरारी मिश्रा, मेरी बहन श्रीमती रागिनी मिश्रा और मुझे (उपमा मिश्रा) प्रत्येक को उक्त मकान में 1/8 अंश का स्वामित्व प्राप्त हुआ।

मै उपमा मिश्रा उक्त मकान में अपने 1/8 अंश को अपने भाई त्रिपुरारी मिश्रा को प्राकृतिक प्रेम व स्नेह के कारण दानपत्र के माध्यम से उपहार में देना चाहती हूँ व इस हेतु सहमत हूँ।

प्रार्थिनी

Upma mishra

उपमा मिश्रा पुत्री श्री विनय कुमार मिश्रा

राजकीय कालोनी, जनपद–झांसी

प्रेषक,

विनय कुमार मिश्रा,
सिविलजज(सीनियर डिवीजन),
कानपुर- नगर।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।
द्वारा: श्रीमान् जिला जज,कानपुर- नगर।
विषय:- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर विस्तार खण्ड योजना लखनऊ में आवंटित प्लाट के सम्बन्ध में सूचना।

मान्यवर,

उपर्युक्त सन्दर्भ में मुझे यह निवेदन करना हैकि मैंने लखनऊ विकास प्राधिकरण में गोमती नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत 200 वर्गमीटर के आवासीय सी-टाइप प्लाट के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र दि॰ 20. 1. 04 को प्रेषित किया था और इस सम्बन्ध में पंजीकरण धनराशि 50,000रूपए अपने पंजाब नेशनल बैंक, स्थित बचत खाता संख्या 78701 से आहरित कर डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 949861 द्वारा जमा किया था।पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र की फोटो प्रति संलग्नक । है,तथा डिमाण्ड ड्राफ्ट, डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करने की रसीद तथा सम्बन्धित पासबुक की फोटोप्रति क्रमश: संलग्नक2, 3 एवं 4 है।

उक्त पंजीकरण के परिणामस्वरूप मुझे लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटनपत्र संख्या 1041/जी. एन. ई. दि॰ 19. 5. 04 प्राप्त हुआ एवं विक्रय मूल्य मुश्त किश्तों में या एक मुश्त जमाकरने की अपेक्षा की गयी। उक्त आवंटन की फोटो प्रति संलग्नक 5 है।

मैंने इस हेतु स्टेट बैंक आफ इण्डिया,कानपुरनगर की मुख्य शाखा से 5,60,000/ रूपए का ऋण प्राप्त किया। उक्त ऋण की भुगतान 5200रूपए प्रतिमाह की किश्तों में वर्षों में किया जाना है। मार्जिन मनी के रूप में 90,000रूपए का भुगतान मेरे द्वारा किया गया, जिसकी अदायगी स्टेट बैंक आफ इण्डिया की उक्त शाखा में स्थित मेरे बचत खाते से की गयी। उक्त बचत खाता पूर्व में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की कैन्टशाखा में था जिसका पूर्व नम्बर 01190024403 था और मुख्य शाखा में अन्तरित होने के उपरान्त उसका नया नम्बर 01190050825 पड़ा। उक्त ऋण स्वीकृति सम्बन्धी पत्र की फोटोप्रति संलग्नक6 है एवं ऋण की शर्तों से सम्बन्धित दस्तावेज की फोटोप्रति संलग्नक 7 है,तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया कैन्ट शाखा में खाता संख्या 01190024403 की फोटोप्रतिसंलग्नक8 है एवं उक्त खाते के मुख्य शाखा में अन्तरण के उपरान्त नया खाता नम्बर01190050825 की फोटोप्रति संलग्नक 9 है।

90000रूपए की मार्जिन मनी के भुगतान हेतु स्टेट बैंक के खाते में धनराशि कम होने के कारण 46000रूपए मेरे द्वारा पंजाब नेशनल बैंक स्थित खाता संख्या 78701 से नगदप्र

....2/

कर उसे स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में स्थित खाता संख्या 0119 0050825 में उसी दिन दिनांक 28.6.04 को जमा कियागया एवं स्टेट बैंक आफ इण्डिया के उक्त खाते से 90000रुपए की धनराशि मार्जिन मनी के भुगतान हेतु बैंक द्वारा आहरित की गयी। पंजाब नेशनल बैंक में स्थित उक्त खाते से रुपया निकालने के सम्बन्ध में चेक की फोट प्रति संलग्नक 10 है एवं स्टेट बैंक में रुपया जमा करने की रसीद संलग्नक11 है।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया की मुख्य शाखा द्वारा मुझे ऋण और मार्जिन मनी की धनराशि मिलाकर 6,50,000रुपए का ड्राफ्ट लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में निर्मित कर दियागया। उक्त ड्राफ्ट की फोटो प्रति संलग्नक 12 है। उक्त ड्राफ्ट को लखनऊ विकास प्राधिकरण में मेरे द्वारा दिनांक 29.6.04 को जमा कियागया। उक्त जमा रसीद की फोटो प्रति संलग्नक 13 है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में मुझे पंजीयन का विवरण उपलब्ध कराया गया, जिसकी फोटोप्रति संलग्नक 14 है।

मेरे द्वारा उक्त सन्दर्भित खातों का पूर्ण विवरण पूर्व में माननीय उच्चन्यायाल को प्रेषित वर्ष 2003 के सम्पत्ति विवरण एवं विगत वर्षों में प्रेषित सम्पत्ति विवरण में उनका उल्लेख किया जा चुका है।

लखनऊ विकास प्राधिकरणद्वारा अभी मेरे पक्ष में आवंटित प्लाट की कोईरजिस्ट्री नहीं की गयी है एवं न ही कोई कब्जा मुझे प्रदान कियागया है। अतः प्लाट का कोई स्वामित्व मुझे प्राप्त नहीं है। जब भी मेरे पक्ष में प्लाट की रजिस्ट्री कीजायेगी या कब्जा प्रदान कियाजायेगा, तो मैं उसकी सूचना माननीय न्यायालय को पृथक से विहित प्रारूप पर प्रेषित करूंगा।

अतः उपरोक्त सूचना माननीयन्यायालय को सूचनार्थ मेरे द्वारा सादर प्रेषित की जा रहीहै।

आदर सहित।

भवदीय
(signature) 19/7/04

(विनय कुमार मिश्रा)
सिविलजज(सीनियर डिवीजन)
कानपुर- नगर।

दिनांक: 19.7.2004
संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

KANPUR NAGAR JUDGESHIP

No. 1259/I Dated; Kanpur Nagar: July 21, 2004.

Forwarded to the Registrar General. Hon'ble High Court of judicature at Allahabad.

(signature)

District Judge,
Kanpur Nagar.

विनय कुमार मिश्रा,
अपर जनपद एव सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सँख्या–10, बरेली।

सेवा में,

श्रीमान् महा निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा:– श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
बरेली।

विषय:–भूखण्ड का बिक्रय विलेख प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

उपरोक्त सन्दर्भ में मुझे यह निवेदन करना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर विस्तार योजना लखनऊ के अन्तर्गत मुझे 200 वर्गमीटर का प्लाट सं0–4/1171 आवंटित किया गया था जिसके सम्बन्ध में अपेक्षित सम्पूर्ण सूचना मेरे द्वारा पूर्व में पत्र दिनॉक 27–5–2005 एवं माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर नगर के पृष्ठांकन सँ0–1073/1 दिनॉकित 27–5–2005 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त पत्र की प्रतिलिपि सँलग्न की जा रही है।

उक्त सूचना के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सँख्या – 8731/4/2301/एडमिन (ए) दिनाँक इलाहाबाद–5.7.2005 द्वारा मुझसे यह अपेक्षा की गयी कि उक्त भूखण्ड का पँजीयन होने के उपरान्त बिक्रय विलेख की प्रतिलिपि एवं कोई अतिरिक्त सूचना यदि कोई हो तो प्रेषित की जाय।

इस सन्दर्भ में मुझे यह सूचित करना है कि उक्त भूखण्ड का मेरे पक्ष में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पँजीयन दिनाँक 25–3–2010 को किया जा चुका है एवं इस सम्बन्ध में स्टाम्प का क्रय मेरे वेतन के बचत की धनराशि जो बचत खाता सँ0–10995607698 स्थित भारतीय स्टेट बैंक, बरेली में जमा की जाती है, से किया गया। अतः इस सम्बन्ध में बिक्रय बिलेख की प्रतिलिपि श्रीमान् जी के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश
बरेली
पत्रांक 1787/XV दि0 06-9-10
अग्रसारित ....
जनपद न्यायाधीश

सादर।
दिनांक:–03–9–2010

भवदीय,
3/9/10
(विनय कुमार मिश्रा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सँख्या–10,बरेली।

सँलग्नक:–

1–बिक्रय विलेख की फोटो प्रतिलिपि।
2–माननीय उच्च न्यायालय के उक्त संदर्भित पत्र दिनाँक 05–7–2005 एवं पूर्व में भेजी गयी सूचना दिनाँक 27–5–2005 की फोटो प्रतिलिपि।

सं 1
No. 1

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश सरकार
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
DEPARTMENT OF MEDICAL AND HEALTH
नगर निगम लखनऊ
NAGAR NIGAM LUCKNOW

प्रपत्र 6
FORM 6

मृत्यु प्रमाण-पत्र
DEATH CERTIFICATE

(जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1969 की धारा 12 / 17 तथा उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2002 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया गया)

(ISSUED UNDER SECTION 12/17 OF THE REGISTRATION OF BIRTHS & DEATHS ACT, 1969 AND RULE 8/13 OF THE UTTAR PRADESH REGISTRATION OF BIRTHS & DEATHS RULES 2002.)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल अभिलेख से ली गई है जो कि नगर निगम लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ राज्य/संघ प्रदेश उत्तर प्रदेश भारत के रजिस्टर में उल्लिखित है।
THIS IS TO CERTIFY THAT THE FOLLOWING INFORMATION HAS BEEN TAKEN FROM THE ORIGINAL RECORD OF DEATH WHICH IS THE REGISTER FOR NAGAR NIGAM LUCKNOW OF TAHSIL/BLOCK LUCKNOW OF DISTRICT LUCKNOW OF STATE/UNION TERRITORY UTTAR PRADESH, INDIA.

मृतक का नाम / NAME OF DECEASED : VIDYAWATI

लिंग / SEX: महिला / FEMALE

मृत्यु की तिथि / DATE OF DEATH:
20-12-2018
TWENTIETH-DECEMBER-TWO THOUSAND EIGHTEEN

मृत्यु का स्थान / PLACE OF DEATH:
4/1171 GOMATI NAGAR EXTENTION, LUCKNOW, LUCKNOW, LUCKNOW UTTAR PRADESH.

पति / पत्नी का नाम / NAME OF HUSBAND / WIFE:
VINAY KUMAR MISHRA

मृतक की उम्र / AGE OF DECEASED:
59 YEARS

आधार नंबर / HUSBAND/WIFE AADHAAR NO. :

माता का नाम / NAME OF MOTHER:

पिता का नाम / NAME OF FATHER :

आधार नंबर / MOTHER'S AADHAAR NO. :

आधार नंबर / FATHER'S AADHAAR NO. :

मृत्यु के समय मृतक का पता / ADDRESS OF THE DECEASED AT THE TIME OF DEATH :
4/1171 GOMATI NAGAR EXTENTION,
LUCKNOW, LUCKNOW, LUCKNOW,
UTTAR PRADESH

मृतक का स्थायी पता / PERMANENT ADDRESS OF DECEASED :
4/1171 GOMATI NAGAR EXTENTION,
LUCKNOW, LUCKNOW, LUCKNOW,
UTTAR PRADESH

पंजीकरण संख्या / REGISTRATION NO:
D-2018: 9-90321-018513

पंजीकरण तारीख / DATE OF REGISTRATION:
31-12-2018

टिप्पणी / REMARKS (IF ANY):
24184/48

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE:
02-01-2019

जारी करने वाला प्राधिकारी / ISSUING AUTHORITY

रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु)
REGISTRAR (BIRTH & DEATH)
नगर निगम लखनऊ
NAGAR NIGAM LUCKNOW

UPDATED ON :
31-12-2018 14:43:19

"THIS IS A COMPUTER GENERATED CERTIFICATE WHICH CONTAINS FACSIMILE SIGNATURE OF THE ISSUING AUTHORITY"
THE GOVT. OF INDIA VIDE CIRCULAR NO. 1/12/2014-VS(CRS) DATED 27-JULY-2015 HAS
APPROVED THIS CERTIFICATE AS A VALID LEGAL DOUCMENT FOR ALL OFFICIAL PURPOSES.
" प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें" / "ENSURE REGISTRATION OF EVERY BIRTH AND DEATH "

कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ

संख्या :— 105 (6)/रा.स.—2/2022 दिनांक : 28-2-2022

विषय :— स्व0 श्रीमती विद्यावती मिश्रा पत्नी श्री विनय कुमार मिश्रा के आश्रितों की जांच के सम्बन्ध में।

श्री विनय कुमार मिश्र ,
निवासी— 4/1171,गोमती नगर विस्तार
लखनऊ ।

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ को सम्बोधित आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 28.02.2022 के सन्दर्भ में तहसीलदार, सदर, लखनऊ से स्थानीय जांच करायी गयी। तहसीलदार, सदर, लखनऊ की जांच आख्या दिनांक 28.02.2022 के अनुसार मृतक स्व0 श्रीमती विद्यावती मिश्रा पत्नी श्री विनय कुमार मिश्रा निवासी—4/1171,गोमती नगर विस्तार लखनऊ की मृत्यु दिनांक 20.12.2018 को हो गयी थी, के निम्नलिखित पारिवारिक सदस्य है :—

1.	श्री विनय कुमार मिश्र	आयु लगभग 65 वर्ष पति	स्व0 श्रीमती विद्यावती मिश्रा
2.	श्री त्रिपुरारी मिश्रा	आयु लगभग 39 वर्ष पुत्र	स्व0 श्रीमती विद्यावती मिश्रा
3.	श्रीमती रागिनी मिश्रा	आयु लगभग 37 वर्ष पुत्री विवाहित	स्व0 श्रीमती विद्यावती मिश्रा
4.	श्रीमती उपमा मिश्रा	आयु लगभग 35 वर्ष पुत्री विवाहित	स्व0 श्रीमती विद्यावती मिश्रा

यह सूचना केवल विभागीय उपयोग के लिए भेजी जा रही है। किसी विवाद की दशा में मान्य नही है। गवर्नमेण्ट सिक्योरिटीज मैनुअल के अन्तर्गत केवल पांच हजार रुपये के लिए मान्य है।

कृते जिलाधिकारी,
लखनऊ।

कार्यालय जिलाधिकारी लखनऊ

A-R.A.-2-11

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE ... RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 087386

3 MAR 2010

मैं डी0एम0 कटियार प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति)

विकास प्राधिकरण लखनऊ विक्रेता की ओर से एवं

क्रमशः------ 2.

विद्यावती मिश्रा

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
लखनऊ विकास प्राधिकरण

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

त्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 087387

2 3 MAR 2010

(2)

श्री विनय कुमार मिश्रा आयु लगभग-52 वर्ष पुत्र

स्व0 मधु सूदन मिश्रा एवं श्रीमती विद्यावती मिश्रा

क्रमशः—— 3.

Vinay Kumar Mishra

विद्यावती मिश्रा

... अधिकारी सम्पत्ति
... विक्रय प्राधिकरण
...

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 087388

5 MAR 2010

(3)

आयु लगभग-50 वर्ष पत्नी श्री विनय कुमार मिश्रा

निवासीगण-जे-22, सर्किट हाउस कालोनी, सिविल

क्रमशः ---- 4.

विद्यावती मिश्रा

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 657915

22 MAR 2010

॥ 4 ॥

लाइन्स, बरेली क्रेता की ओर से

भूखण्ड संख्या न्या-4/1171 सेक्टर-4

क्रमशः ----5.

विद्यावती मिश्रा

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

M 087406

23 MAR 2010

स. को. अ./

(5)

स्थित गोमती नगर विस्तार योजना

लखनऊ के सम्बन्ध में फ्रीहोल्ड शुल्क

क्रमशः ---- 6.

विद्यावती मिश्रा

[illegible] सम्पत्ति
लखनऊ विकास प्राधिकरण
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 087407

23 MAR 2010

॥ 6 ॥

सहित भूमि का मूल्य रूपया-7,84,000=00

छूट रु0-26,250=00

कुल रूपया-7,57,750=00 मात्र

क्रमशः---- 7.

Ramanand Mishra

विद्यावती मिश्रा

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

र प्रदेश UTTAR PRADESH

M 087408

23 MAR 2010

§ 7 §

के एवज में यह विक्रय विलेख

क्रमशः —— ०•

विद्यावती मिश्रा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

र प्रदेश UTTAR PRADESH

M 087409

2 3 MAR 2010

§ 8 §

निष्पादित कर रहा हूँ जिसका

क्रमशः ——9.

विद्यावती मिश्रा

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

र प्रदेश UTTAR PRADESH

M 087410

23 MAR 2010

(9)

मानचित्र तथा विक्रय विलेख से

क्रमशः—— 10.

विद्यावती मिश्रा

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

M 087432

3 MAR

॥ 10 ॥

सम्बन्धित नियम एवं शर्तें साथ में

क्रमशः——11.

विद्यावती मिश्रा

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 415096

कोषागार लखनऊ से जारी
20 MAR 2010
[illegible] अ./कोषाधिकारी
[illegible] लखनऊ
[illegible]

॥ 11 ॥

संलग्न छपे हुए विक्रय विलेख फार्म

क्रमशः-----12.

विद्यावती मिश्रा

[illegible] अधिकारी [illegible]
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L. 415097

20 MAR 2010

को अ. कोषाधिकारी
लखनऊ

§ 12 §

में विस्तृत रूप से उल्लिखित की गयी है।

क्रमशः:—— 13.

विद्यावती मिश्रा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 415098

20 MAR 2010

कोषाधिकारी लखनऊ

§ 13 §

यह विलेख इस शर्तों के साथ निष्पादित

किया जा रहा है कि यदि किसी स्तर

क्रमशः---- 14.

विद्यावती मिश्रा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

L 415099

20 MAR 2010

§ 14 §

पर वास्तविक धनराशि पूर्ण रूपेण जमा नहीं

हुई है तो आवंटी इसे सब्याज विकास प्राधिकरण

क्रमशः ---- 15.

विद्यावती मिश्रा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 960391

§ 15 §

लखनऊ में जमा करने का उत्तरदायी होगा।

शासनादेश संख्या-645/9-आ-2-2001 दिनांक-8.3.01 के अनुसार पति पत्नी के संयुक्त नाम से निबंधन निष्पादित है।

शासनादेश संख्या-सा0वि0क0नि0-5-2756/11-2008-500 §165§/2007 दिनांक-30.6.08 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी अदा है।

क्रमशः-- 16·

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 960393

(16)

विक्रेता की ओर से
प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति)
विकास प्राधिकरण लखनऊ

लखनऊ विकास प्राधिकरण

1. गवाह (देव चन्द्र राम)
अनुभाग अधिकारी

पता- विकास प्राधिकरण लखनऊ।

2. गवाह (
पता-

योजना सहायक / तैयारकर्ता

टाईपकर्ता

क्रेता

विद्यावती मिश्र